प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

03 अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, कुल 35 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 11.04.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना हरगांव, थाना महोली एवम् थाना सदरपुर की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान कुल 03 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों से **कुल 04 अभियुक्तगण** को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से मौके से कुल **17 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 18 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 12 अदद कारतूस, 10 अदद लोहे की नाल एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण** बरामद हुए है। उक्त तीनों अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में क्रमशः थाना हरगांव पर मु0अ0सं0 251/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट,थाना महोली पर मु0अ0सं0 186/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट एवम् थाना सदरपुर पर मु0अ0सं0 95/2021 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना हरगांव टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त प्रहलाद के कब्जे से बरामद अवैध तमंचे के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्तगण अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ के लिये आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रो की मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण एवम् विक्रय की तैयारियां कर रहे थे एवम् विभिन्न स्थानों पर अवैध शस्त्र बेचने का कार्य करते है। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहे के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। विवरण निम्न है-

➢ कार्यवाही थाना हरगांव----

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ. राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.04.21 को थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त प्रहलाद पुत्र बच्चू लाल निवासी ग्राम मुसहिया थाना हरगांव जनपद सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए लक्ष्मन नगर के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से **कुल 10 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 03 अर्द्धनिर्मित तमंचा, 08 कारतूस, 08 अदद लोहे की नाल एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण** बरामद हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना हरगांव पर मु0अ0सं0 251/21 धारा 3/5/25 आर्म्स

एक्ट पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से बरामद अवैध तमंचे के संबंध में मु0अ0सं0 250/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्त प्रहलाद उपरोक्त विरुद्ध जनपद सीतापुर के अतिरिक्त जनपद बरेली में भी अभियोग पूर्व में पंजीकृत है एवम् थाना हरगांव का टॉप-10 अपराधी भी है।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 250/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना हरगांव, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 251/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना हरगांव, सीतापुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u> प्रहलाद पुत्र बच्चू लाल निवासी ग्राम मुसहिया थाना हरगांव जनपद सीतापुर

<u>बरामदगी विवरण–</u>10 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 03 अर्द्धनिर्मित तमंचा, 08 कारतूस, 08 अदद लोहे की नाल एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण

<u>गिरफ्तारी करने वाली हरगांव टीम–</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्म प्रकाश शुक्ल
2. व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी
4. उ0नि0 श्री अशोक कुमार सोनकर
5. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार
6. हे0का0 अब्दुल बहाव
7. का0 आदेश
8. का0 रवि प्रकाश

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रहलाद उपरोक्त-</u>

1. मु0अ0सं0 963/17 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली जनपद बरेली।
2. मु0अ0सं0 964/17 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद बरेली।
3. मु0अ0सं0 128/18 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बरेली।
4. मु0अ0सं0 250/21 धारा 25(1-B) आयुध अधिनियम थाना हरगांव जनपद सीतापुर।
5. मु0अ0सं0 251/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना हरगांव जनपद सीतापुर।

➢ <u>कार्यवाही थाना महोली----</u>

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ. राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.04.21 को थाना महोली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 02 अभियुक्तगण 1.रामलोटन उर्फ लोटन पुत्र स्व0 मुन्ना नि0ग्राम रुस्तमनगर थाना महोली 2. बब्लू पुत्र रामखेलावन मिश्रा निवासी ग्राम प्रीतमपुर ग्रन्ट थाना महोली सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ग्राम पीरपुर के पास से

गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से कुल **03 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 13 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 03 कारतूस, 02 लोहे की नाल एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण** बरामद हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना महोली पर मु0अ0सं0 186/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 186/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना महोली, सीतापुर

अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रामलोटन उर्फ लोटन पुत्र स्व0 मुन्ना नि0ग्राम रुस्तमनगर थाना महोली सीतापुर
2. बब्लू पुत्र रामखेलावन मिश्रा निवासी ग्राम प्रीतमपुर ग्रन्ट थाना महोली सीतापुर

बरामदगी विवरण– 03 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 13 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 03 कारतूस, 02 लोहे की नाल एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

गिरफ्तारी करने वाली महोली टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार वर्मा
2. उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री सुब्बा चौहान
4. हे0का0 रामाश्रय यादव
5. का0 अंकित कुमार
6. का0 अजय कुमार

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रामलोटन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 287/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना महोली जनपद सीतापुर

अभियुक्त बब्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 801/09 धारा 457/380 भा.द.वि थाना महोली जनपद सीतापुर
2. मु0अ0स0 1093/09 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर ऐक्ट थाना महोली जनपद सीतापुर
3. मु0अ0स0 273/20 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना महोली जनपद सीतापुर

➢ कार्यवाही थाना सदरपुर----

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी. सिंह के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.04.21 को थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त विक्रम पुत्र वदलू लोनिया निवासी ग्राम अडियापुर मजरा थाना सदरपुर जनपद सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से **कुल 04 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 02**

अर्द्धनिर्मित तमंचा, 01 कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण बरामद हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना सदरपुर पर मु0अ0सं0 95/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त विक्रम उपरोक्त एक अभ्यस्त चोर है, जिसके विरुद्ध अन्य थानों पर भी पूर्व में करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 95/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना सदरपुर, सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- विक्रम पुत्र वदलू लोनिया निवासी ग्राम अडियापुर मजरा थाना सदरपुर जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण–04 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 02 अर्द्धनिर्मित तमंचा, 01 कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण

गिरफ्तारी करने वाली सदरपुर टीम–

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री अवध विहारी मिश्रा
3. मुख्य आरक्षी श्री राजेश कुमार सिंह
4. आरक्षी जैनेन्द्र सिह
5. आरक्षी रवितालान
6. आरक्षी मनीष कुमार
7. आरक्षी ज्ञानेन्द्र कुमार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विक्रम उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 166/2017 धारा 379 भादवि थाना सदरपुर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 169/2017 धारा 457/380 भादवि थाना सदरपुर सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 291/2014 धारा 457/380 भादवि थाना सदरपुर सीतापुर।
4. मु0अ0सं0 293/2014 धारा 380 भादवि थाना सदरपुर सीतापुर
5. मु0अ0सं0 107/2017 धारा 457/380 भादवि थाना विंसवा सीतापुर
6. मु0अ0सं0 207/2017 धारा 457/380 भादवि थाना विसंवा सीतापुर
7. मु0अ0सं0 214/2017 धारा 379 भादवि थाना विसंवा सीतापुर
8. मु0अ0सं0 249/2017 धारा 457/380 भादवि थाना विसंवा सीतापुर
9. मु0अ0सं0 164/2014 धारा 457/380 भादवि थाना इ0सु0पुर सीतापुर
10. मु0अ0सं0 180/2014 धारा 457/380 भादवि थाना इ0सु0पुर सीतापुर
11. मु0अ0सं0 72/2019 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना सदरपुर सीतापुर।
12. मु0अ0सं0 35/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना सदरपुर सीतापुर।
13. मु0अ0सं0 95/2021 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना सदरपुर सीतापुर।

PS HARGAON

थाना कोतवाली-महोली
जनपद- सीतापुर
कार्यालय
कार्यालय

थाना सदरपुर
जनपद-सीतापुर
कार्यालय